

कार्य मंत्रणा समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

तेईसवां प्रतिवेदन
(30.07.2021 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गये अनुसार समय के आवंटन की सिफारिश की है:-

- | | | |
|-----|--|--------|
| (1) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तों) अध्यादेश, 2021 (2021 के संख्यांक 2) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तों) विधेयक, 2021 पर, इसके पुरःस्थापन के पश्चात्, विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए | 3 घंटे |
| (2) | भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 । <u>(विचार तथा पारित करना)</u> | 2 घंटे |
| (3) | संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात् । <u>(विचार तथा पारित करना)</u> | 2 घंटे |
| (4) | केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 । <u>(विचार तथा पारित करना)</u> | 2 घंटे |
| (5) | निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 । <u>(विचार तथा पारित करना)</u> | 2 घंटे |

(6) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 ।

(विचार तथा पारित करना)

2 घंटे

(8) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 ।

(विचार तथा पारित करना)

4 घंटे

नई दिल्ली;

29 जुलाई, 2021

7 श्रावण, 1943 (शक)

ओम बिरला
सभापति,
कार्य मंत्रणा समिति।